न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी एल0आर0गुगरवाल (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः– 01/2017 रेफरेन्स

उनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा **बनाम**

1.श्री मुकेश पिता प्रहलाद राय त्रिवेदी
2.श्री भंवरलाल पिता भैरू गुर्जर
3.कमला पुत्री भैरू गुर्जर
4 नोजी पत्नि स्व0 भैरू गुर्जर
5.श्री भैरू पिता उदा गुर्जर
नवासियान पुर त0 भीलवाड़ा

––प्रार्थी **––विपक्षीगण**

कार्यवाही प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः– श्री विपुल बापना,राज0 अधि0, प्रार्थी की ओर से
विपक्षी संख्या 1 अधिवक्ता अनुपस्थित

निर्णय

दिनांक 15.03.2017

प्रार्थी तहसीलदार भीलवाड़ा की ओर से रा0भू0रा0अधिनियम 1956की धारा 82 के अन्तर्गत विपक्षीगण के विरूद्ध माह जनवरी, 2017 में यह रेफरेन्स प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पुर तहसील भीलवाड़ा में स्थित साबिक आराजी नम्बर 1896/2, 1897/2,1900 कीता 3 कुल रकबा 5.17 बीघा भूमि जो देवजी डुंगरी स्थान देह के खाते में अभिलिखित होकर पुजारी रामा पिता मोती, उदा पिता केरिंग, बख्तावर पिता जवाना दर्ज रेकार्ड था जो जमाबन्दी सम्वत् 2010 से 2013 को देखने से सिद्ध है। नवीन बन्दोबस्त के दौरान उक्त आराजी भू–भाग के नवीन खसरा नम्बर 4937 व 4940 बने। सहमति बटवाड़े से आवनंव 4937/1 श्री भागू पिता रामा गुर्जर के नाम दर्ज हुई । यह आराजी बेचान से 4937/1 रकबा 1.11बीघा श्री मुकेश पिता प्रहलाद राय त्रिवेदी के नाम दर्ज हुई । आ0नं0 4937/2 रकबा 1.10 बीघा में बख्तावर गुर्जर का 1/2 हिस्सा विक्रय से श्री मुकेश पिता प्रहलादराय त्रिवेदी के नाम दर्ज हुई। इस प्रकार आ0नं0 4937/2 रकबा 1.10 बीघा श्री भंवरलाल, कमला, पिता भैरू, नोजी पत्नि स्व0भैरू 1/2 हिस्सा श्री मुकेश पिता प्रहलादराय त्रिवेदी 1/2 हिस्सा , व आराजी नम्बर 4940 रकबा 1.01 बीघा भूमि भैरू पिता उदा गुर्जर के नाम वर्तमान रेकार्ड में खातदारी से दर्ज कर दी। प्रश्नगत आराजी भू–भाग गत अभिलेख में देवजी डुंगरी स्थान देह की होकर मन्दिर मूर्ति की भूमि है। मन्दिर मूर्ति की भूमि को भू–प्रबन्ध विभाग ने बिना किसी आधार के

विपक्षीगण के पूर्वजों के खाते में अभिलिखित किया गया, जो नियमों के विरूद्ध है। इस प्रकार मंदिर मूर्ति की भूमि निजी व्यक्तियों के खाते में अभिलिखित कर नियमों का उल्लंघन किया गया है। प्रार्थी अपने प्रार्थनापत्र की पुष्टि में राजस्व अभिलेखों की प्रतिएं प्रस्तुत कर विवादित आराजी भू–भाग को पुनः राजस्व अभिलेख में देवजी डुंगरी स्थान देह के नाम अभिलिखत कराने हेतु राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में रेफरेन्स प्रस्तुत कराने का अनुरोध किया गया।

प्रस्तुत रेफरेन्स प्रतिवेदन इस न्यायालय में दिनांक 19.01.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किए गए। विपक्षी संख्या 01 व उनके अधिवक्ता नियत दिनांक 09.03.2017 को उपस्थित नहीं होने से इसके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की गई। शेष विपक्षी संख्या 2से 4 के द्वारा इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर भूमि को पुनः देवजी डुंगरी स्थान देह के नाम दर्ज किए जाने में सहमति व्यक्त की। प्रकरण में विपक्षीगण की ओर से कोई अभिभाषक उपस्थित नहीं होने तथा इकबालिया जवाब प्रस्तुत होने से उपस्थित राजकीय अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनते हुए तहसीलदार भीलवाड़ा की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र रा0भू0राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रतिवेदन अनुसार ग्राम पुर की साबिक आराजी नम्बर 1896/2, 1897/2, 1900 थे जिसके नवीन आ0नं04937 व 4940 कायम किये जाकर भू–प्रबन्ध विभाग ने विपक्षीगण के खाते में अभिलिखित किया गया। मंदिर/मूर्ति की भूमि को निजी व्यक्तियों के खाते में अभिलिखित करना नियमों के विरूद्ध होने से रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर उक्त आराजीयात को विपक्षीगण के खाते से हटाया जाकर पुनः मंदिर/मूर्ति देवजी डुंगरी स्थानदेह के नाम अभिलिखित कराने हेतु रेफरेन्स स्वीकार फरमावें।

रेफरेन्स के साथ सम्वत् 2010से 2013 की नकल जमाबन्दी ग्राम पुर की प्रस्तुत की जिसमें आ0नं0 1896/2,1897/2, 1900कीता 3 कुल रकबा 5.17 बीघा भूमि खाता संख्या 366 में कॉलम संख्या 4 में श्री देवजी डूंगरी स्थान देह दर्ज है तथा कॉलम संख्या 5 में श्री रामा पिता मोती, उदा पिता केरिंग,बख्तावरपिता जवाना गुर्जर पुजारी दर्ज है। खसरा परिशोधन पत्र भू–प्रबन्ध में प्रश्नगत भूमियां रामा, उदा, बख्तावर के नाम पर पुजारी की हैंसियत से दर्ज थी परन्तु श्री रामा व उदा के फौत होने पर इनके स्थान पर रामा के लड़के भागू व उदा के लड़के भैरू का नाम भू–प्रबन्ध विभाग के द्वारा परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान की गई जिसके अनुसार नाम परिवर्तन होकर सम्वत् 2032 की जमाबन्दी में नवीन आ0नं0 4937 व 4940 कुल कीता 2 कुल रकबा 4.02बीघा भूमि श्री भागु पिता रामा, भेरू पिता उदा , बख्तावर पिता जवाना गुर्जर सा0 देह खातेदार दर्ज हुई। मिलान खसरा भू–प्रबन्ध सम्वत् 2025 में साबिक आ0नं0 1896/2, 1897/2, 1896/1 के नवीन नम्बर 4937 रकबा 3.01बीघा कॉलम संख्या 23 में श्री देवजी डूंगरी पुजारी रामा, उदा, बख्तावर गुर्जर सा0 देह के नाम दर्ज थे जबकि कॉलम 24 में श्री भागू वल्द रामा, भैरू वल्द उदा, बख्तावर वल्द जवाना गुर्जर सा0देह खाते अंकित कर दिया। इसी प्रकार साबिक आ0नं0 1900 रकबा 1.01 बीघा के नवीन नम्बर 4940 रकबा 1.01 बीघा उक्तानुसार खाते में भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्ज कर दिया।

प्रकरण में राजकीय अधिवक्ता उपस्थित। बहस के तथ्यों एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों व रेफरेन्स के तथ्यों पर मनन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 82 के अन्तर्गत रेफरेन्स प्रस्तुत किया कि ग्राम पुर त0 भीलवाड़ा की साबिक आ0नं0

1896/2, 1897/2व 1900 रकबा 5.17 बीघा के नवीन खसरा नम्बर 4937 व 4940 बने। उक्त आराजीयात के सहमति बटवाड़े से आ0नं0 4937/1 रकबा 1.11 बीघा श्री भागु पिता रामा गुर्जर के नाम दर्ज हुई जो बेचान से श्री मुकेश पिता प्रहलादराय त्रिवेदी के नाम वर्तमान खाते में दर्ज है। इसी प्रकार आ0नं0 4937/2 रकबा 1.10 बीघा भूमि भंवरलाल, कमला पिता भैरू, नोजी पत्नि स्व0 भैरू 1/2 व बख्तावर गुर्जर 1/2 हिस्सा विक्रय से श्री मुकेश पिता प्रहलादराय त्रिवेदी के नाम वर्तमान खाते में दर्ज हुई। आ0नं04940 रकबा 1.10 बीघा भूमि श्री भैरू पिता उदा गुर्जर के नाम खातेदारी से दर्ज है। जबकि सम्वत् 2010 से 2013 की जमाबन्दी में खाता संख्या 366 के कॉलम सं0 4 पर देवजी डुंगरी स्थान देह दर्ज है तथा कॉलम 5 में श्री रामा पिता मोती , उदा पिता केरिंग, बख्तावर पिता जवाना पुजारी के नाम दर्ज है। परन्तु खसरा परिशोधन पत्र मे भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा मूर्ति की भूमि को विपक्षीगण भागू वल्द रामा, भैरू वल्द उदा व बख्तावर वल्द जवाना गुर्जर सा0देह दर्ज कर दिया जो विधि विरूद्ध है। उक्त इन्द्राज को परिवर्तन के लिए निदेशक, लेण्ड रिकॉर्ड्स के यहां पर प्रकरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 1993 पृष्ठ 380 सरकार बनाम कैलाश बाबू का न्यायिक दृष्टान्त युक्तियुक्त है, जो इस प्रकार है:–

RAJASTHAN LAND REVENUE ACT,SECTION 82-

CHANGES MADE BY ASSISTANT SETTLEMENT OFFICER IN REGARD TO KHATEDARI RIGHTS SINCE SETTLEMENT AUTHORITIES ARE NOT IN THE HIERARCHY OF REVENUE AUTHORITIES-REFERENCE RETURNED TO COLLECTOR WITH DIRECTION TO REFER MATTER TO DIRECTOR LAND RECORDS, IF NECESSARY.

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 के तहत स्वीकार्य नहीं होने से पुनः तहसीलदार भीलवाड़ा को लौटाते हुए निर्देशित किया जाता है कि वे प्रकरण को निदेशक, लैण्ड रिकार्ड्स के यहां पर प्रस्तुत करें ।

निर्णय आज दिनांक 15/03/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.3.17

(एल0आर0गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा